**अनुलग्नक – XVI**

**विवर्जन (Debarment) के संबंध में वचन-पत्र / घोषणा-पत्र**

(To be submitted by the bidder on their letter head)

सेवा में
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
लखनऊ

प्रिय महोदय,

**कार्य का नाम: लखनऊ में बैंक के औषधालयों को दवाओं और गैर-चिकित्सा वस्तुओं की आपूर्ति**

मैं/हम _______________ (बोलीदाता का नाम) घोषणा करते हैं कि मैं/हम या हमारी कोई भी सहयोगी फर्म*:

ए. __________ (बोली जमा करने की तारीख) तक भारत अथवा किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/सांविधिक प्राधिकरण/संगठन अथवा किसी भी इकाई द्वारा प्रतिबंधित/निलंबित/ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

बी. ____________ (बोली जमा करने की तारीख) तक पिछले तीन वर्षों में भारत अथवा किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/इकाई के साथ सत्यनिष्ठा संहिता (निविदा में उल्लिखित है) के संबंध में कोई उल्लंघन नहीं किया है।

सी. भारत अथवा किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/इकाई द्वारा काम सौंपे जाने से पहले अथवा उसके दौरान, या काम चलने की अवधि के दौरान, विवर्जन (debarment) किए जाने / सस्पेंड किए जाने / ब्लैक लिस्ट किए जाने की स्थिति में बैंक को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।

डी. पिछले 5 वर्षों के लिए ईपीएफ, ईएसआई, बोनस, न्यूनतम मजदूरी, या अन्य भुगतानों जैसे वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन/कमी के लिए किसी भी प्राधिकरण/न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही लंबित नहीं है अथवा आदेश पारित नहीं किया गया है।

ई. पिछले 5 वर्षों के दौरान अनुबंध की निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले हमारे किसी भी ग्राहक द्वारा दिए गए किसी भी अनुबंध को हमारे द्वारा निरस्त अथवा परित्याग नहीं किया गया है।

एफ़. हमारा रिकॉर्ड साफ़-सुथरा रहा है और हम किसी भी गैर-कानूनी गतिविधि या वित्तीय बैंकिंग धोखाधड़ी में शामिल नहीं रहे हैं। बोलीदाता अथवा प्रोप्राइटरशिप/पार्टनरशिप फर्म/कंपनी के मामले में प्रोप्राइटर/पार्टनर/डायरेक्टर के विरुद्ध पुलिस/न्यायालय/विनियामक प्राधिकरण के पास ऊपर बताई गई गतिविधियों से जुड़ा कोई मामला दर्ज नहीं है।

2. मैं/हम जानते और समझते हैं कि अगर हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया यह वचन-पत्र / घोषणा-पत्र / प्रमाणपत्र गलत पाया जाता है, तो बैंक हमारे निविदा / कार्य-आदेश को अस्वीकार / निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा। साथ ही, बैंक कानून के अनुसार कोई भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी स्वतंत्र होगा, जिसमें बयाना जमा राशि ज़ब्त करना / कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी अथवा प्रतिभूति जमा को लागू करना और/अथवा हमें भविष्य में बैंक द्वारा आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में भाग लेने से रोकना शामिल है।

(बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
नाम, रबर की मुहर सहित)
दिनांक:
स्थान:

*संबद्ध फर्म: एक फर्म को "संबद्ध फर्म" (Allied Firm) तब माना जाएगा जब उसका प्रबंधन एक ही हो अथवा उसके बड़े हिस्से या बहुमत शेयर किसी प्रतिबंधित/सस्पेंड की गई फर्म के पास हों और इस वजह से उसका उस पर कंट्रोल हो। साथ ही, बाद में बनने वाली सभी फर्मों को भी संबद्ध फर्म ही माना जाएगा।